न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व दरख्वास्त संख्या : 129/2007

सायलान :- बनाम गै0सा0 :-

1. रतना पुत्र घीसा
2. पेमाराम पुत्र घीसा
3. हडमान पुत्र घीसा
4. धारु पुत्र घीसा
5. सायरी बेवा घीसा
6. इन्द्रा पुत्री घीसा जातियान बावरी निवासीगण आ0कालू तहसील जिला पाली राजस्थान

1. बालाबक्ष (फौत) पुत्र हजारीमल कलाल (टांक) निवासी आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0
2. दिनेश कुमार पुत्र श्री मालचंद जाति ब्राहाम्ण निवासी जयपुर जिला जयपुर राज. जरिये खास मुख्तियार प्रमोद तातेड पुत्र प्रकाशमल तातेड जाति जैन निवासी बिलाडा तहसील जिला जोधपुर राजस्थान

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू:. 20/07/2007

उपस्थितः- 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, सायलान।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 26/06/2015

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा आ.कालू में वाके आराजी खसरा नम्बर 1304 रकबा 74 बीघा 16 बीस्वा वाके हैं, जो वर्तमान जमाबंदी खतोनी में खसरा नम्बर 1304/1 रकबा 42-14 बीघा बारानी प्रथम व खसरा नम्बर 1304 रकबा 32-02 बीघा बारानी अव्वल क्रमशः खाता संख्या 220, 323 के रुप में दर्ज हैं। उक्त भूमि का लगान 46.89/- रु. हैं। उक्त भूमि का सैटलमेंट के समय से बतौर खसरा नम्बर 1304 रकबा 74 बीघा 16 बीस्वा बारानी अव्वल के रुप में सम्पूर्ण भूमि एक ही खाता व एक ही जोत के रुप में दर्ज हैं व सम्वत 2033 से 2036 तक सम्पूर्ण खसरा नम्बर 1304 की आराजी एक ही खाते के दर्ज हैं। जमाबंदी खतौनी सम्वत 2033 से 2036 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही हैं, जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें व उक्त भूमि को नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रतियाँ प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही हैं, जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1304 के खाता संख्या 220, 323 जो वर्तमान में खसरा नम्बर 1304/1 व 1304 के रुप में दर्ज है। व आधार वर्ष 2005 की मौजूदा जमाबंदी खतौनी की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही हैं, जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। सायलान स्वर्गीय घीसाराम पुत्र रमजीराम जाति बावरी निवासी आ0कालू के उत्तराधिकारी है व विवादित आराजी खसरा नम्बर 1304 रकबा 74 बीघा 16 बीस्वा किस्म बारानी प्रथम 1/4 हिस्से पर दिनांक 15/10/1955 के पूर्व से लगातार बतौर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

खातेदार काश्तकार के रमजी बेटा भूरा बावरी व उनकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र घीसा पुत्र रमजी बावरी व घीसा की मृत्यु के बाद सायलान बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज हैं। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1304 की खसरा गिरदावरी सम्वत 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 की प्रमाणित प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही हैं, जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें, जिसमें सायलान के पिता घीसा व दादा रमजी का काश्त दर्ज हैं यानि सायलान के पिता घीसा व दादा रमजी का काश्त दर्ज है यानि सायलान के दादा खसरा नम्बर 1304 रकबा 74 बीघा 16 बीस्वा 1/4 हिस्से की कृषि भूमि जिसके पडौस पूरब में – सायलान का खेत, पश्चिम मे भवंरु जाट का खेत, उत्तर में पेमा पुत्र मूला का खेत खसरा नम्बर 1304 की जमीन व दक्षिण में कालू स बलाडा जाने वाला आम रास्ता हैं। उक्त पडौसो के बीच स्थित भूमि में दिनांक 15.10.1955 के पूर्व से लगातार सायलान के दादा रमजी व उनकी मृत्यु के बाद घीसा व उनकी मृत्यु के बाद सायलान निर्बाध रुप से निरन्तर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से यानि पिछले 52 सालों से सायलान उक्त पडौसों के बीच की खसरा नम्बर 1304 रकबा 74 बीघा 16 बीस्वा किस्म बारानी प्रथम काश्तकार के काबिज है व पिछले 52 वर्षो से सायलान के रहवासी मकान झोपडे पानी के होद व बाडे बने हुये हैं। जहां सायलान निवास करते हैं। व वर्तमान में मय परिवार व मवेशियों के रहते हैं व निवास करते हैं। व सायलान का कब्जा व काश्त हैं व उक्त भूमि मौका स्थिति का नजरी नक्शा बनाकर प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा हैं। जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उक्त पद में वर्णित पडौसो के बीच स्थित सायलान की 18 बीघा 14 बीस्वा भूमि जिसके पडौस उपर दिये गये हैं। गलत रुप से सायल संख्या 1 बालाबक्ष के नाम खातेदारी में गलत इन्द्राज होने से व बालाबक्ष के नाम खतौनी में गलत इन्द्राज होने से व बालाबक्ष द्वारा समय समय पर सायलान के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने की धमकी देने पर दिनांक 21/09/1982 को सायलान के स्वर्गीय पिता घीसाराम पुत्र रमजीराम जी बावरी ने सायल संख्या एक बालाबक्ष को रुपयें 6000/– रोकड दियें व इस बाबत एक लिखित बालाबक्ष ने सायलान के पिता घीसाराम से प्राप्त कर उक्त खसरा नम्बर 1304 रकबा 74 बीघा 16 बीस्वा किस्म बारानी वाके सरहद मौजा आ0कालू चक नम्बर 2 के निस्फ हिस्से यानि 1/2 हिस्से का 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण भूमि के 1/4 हिस्से के हक 5 वर्ष के लिये सायलान के पिता के पक्ष में रहन रखे व इस भूमि का कब्जा घीसाराम को मौके पर सौपने व लिखत लिखने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक उक्त 6000/– रु. को अदा नहीं करने पर गैरसायलान संख्या एक बालाबक्ष का कोई अधिकार नहीं रहेगा व घीसाराम इसका खातेदार काश्तकारा हो जायेगा। उक्त 1/4 हिस्से की भूमि के पडौस पूरब में – सायलान व उसके पिता का खेत, पश्चिम में – भवंरु जाट का खेत, उत्तर में – घीसाराम का खेत व दक्षिण में बलाडा जाने का आम रास्ता के पडौस अंकित किये हैं व यह रहन 10/– रुपयें के स्टाम्प पर बालाबक्ष द्वारा टाईप करवाकर अपने हस्ताक्षर किये व अर्जिनवीश, पूनाराम जाट व नारायण मेघवाल की साखे डलवाई व यह स्टाम्प स्वयं बालाबक्ष द्वारा खरीद किया गया। उक्त लिखत रहन दिनांक 21/09/1982 मूल प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही हैं, जिसे का एक भाग माना जावें व यह लिखत सायल संख्या एक का सायलान के पिता के पक्ष में तकमील किया व इस दस्तावेज के पडौसो के बीच की भूमि का कब्जा सायलान को सुपुर्द करना व सायलान का होना स्वीकार किया व इस रहन की 5 वर्ष की अवधि

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

दिनांक 21/09/2007 से सायलान व उनके पिता खातेदार काश्तकार हो गये व 21/09/1982 से आज दिन तक यानि पिछले 25 वर्ष से लगातार कब्जा व काश्त सायलान का हैं व सायल संख्या एक उक्त भूमि में आउट ऑफ पजेशन हो चुका हैं। उसका इस भूमि से कोई संबध नहीं हैं व सायलान इस भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये हैं। सायलान व उनके पिता घीसाराम से सायल संख्या एक द्वारा कब्जा प्राप्त करने की 12 वर्ष की समयाधि 21/09/1982 से 21/09/1994 को समाप्त हो चूकी हैं। इसलिये प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी सायलान उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये हैं व सायलान दिनांक 15/10/1955 के पूर्व से आज दिन तक लगातार उक्त भूमि पर मकान बनाकर रहवास कर रहे हैं व खुले रुप से व निर्बाध रुप से बिना कोई रोकटोक के एज ऑफ राईट बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज हैं व सायल संख्या एक किसी प्रकार का कोई कब्जा व काश्त न तो था न ही हैं व सायलान 1/4 हिस्से की भूमि पर बतौर काबिज खातेदार काश्तकार के अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी होने से व ऐसी घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र बाबत घोषणा विरुद्व गैरसायलान के पेश हैं। उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1304 के 1/4 हिस्से बाबत सायल संख्या एक बालाबक्ष ने गोकल पुत्र रघूनाथ व रतना पुत्र घीसा सायल संख्या एक के विरुद्व दिनांक 09/08/1995 को वाद पेश किया जो दिनांक 25/02/2003 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज हो गया। व वाद पत्र दिनांक 09/08/1995 से वाद दायर करने की तिथि से दिनांक 25/02/2003 को वाद खारीज हुआ की तिथि की राजस्व वाद संख्या 85/1995 अनवान बालाबक्ष बनाम गोकल वगैरह प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही हैं, जिसे वाद का एक आवश्यक भाग माना जावें व इस राजस्व वाद संख्या 85/1995 के पूर्व सायल संख्या एक बालाबक्ष ने सायल संख्या एक रतना व गोकल पुत्र रघुनाथ के विरुद्व एक स्थाई निषेधाज्ञा का वाद दिनांक 22/07/1992 को पेश किया जो दिनांक 05/09/1995 को अहम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज हुआ व राजस्व वाद संख्या 58/92 व इसकी आदेश पंजिका 22/07/1992 से 05/09/1995 की प्रमाणित प्रति भी प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही हैं। जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। खसरा नम्बर 1304 शुरु से आज दिन तक एक रकबा व एक ही खाता है। व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की अनदेखी कर बिना आधार व अधिकार व बिना बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा हुये पटवारी हल्का आ0कालू चक नम्बर 2 व भू-अभिलेख निरीक्षक व प्रशासक ग्राम पंचायत-आ0कालू द्वारा जरिये म्युटेशन संख्या 470 के इस भूमि के अपनी इच्छानुसार खसरा नम्बर 1304 रकबा 42 बीघा 14 बीस्वा बारानी प्रथम लगान 26.90/- रु. के आधार पर दिनांक 10/01/1978 को अवैध व गैर कानूनी रुप से स्वीकृत कर एक ही खाते के दो खाते दर्ज कर दियें जबकि नक्शा ट्रैस में कोई तरमीम नही है न ही कोई बंटवाडा दर्ज हुआ हैं। म्यूटेशन संख्या 470 मौजा-आ0कालू-द्वितीय की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही हैं। जिसे वाद का एक आवश्यक भाग माना जावे। यह म्यूटेशन 470 अवैध व गैर कानूनी है, जिसे रदद घोषित किया जाना आवश्यक हैं। इसलिये ऐसी घोषणा प्राप्त करने का सायलान अधिकारी होने से यह घोषणा का वाद विरुद्व गैरसायलान के पेश किया जा रहा हैं। गैरसायलान संख्या एक ने खसरा नम्बर 1304 रकबा 74 बीघा 16 बीस्वा वाके आ0कालू चक नम्बर 2 की 1/2 हिस्से की भूमि में से 1/4 हिस्से की भूमि दिनांक 21/09/1982 को सायलान को और उसके बाद 1/4 हिस्से की बकाया भूमि प्रतिवादीगण संख्या नो

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पेमा पुत्र मूला को बेच दी वह उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज हैं। व 1/4 हिस्से में चिमना के कायम मुकामान प्रतिवादीगण वाद में वर्णित हावडी, सुखा, मैना, जस्सादेवी, छोटीदेवी व सीता हैं, जो काबिज खातेदार काश्तकार हैं तथा 1/4 हिस्से में मांगीलाल पुत्र हीरालाल सिंघवी जो नाऔलाद फौत हो चुका हैं और उसने अपने जीवनकाल में सायलान के पिता घीसा को अपने 1/4 हिस्से की आराजी मेंसे 5 बीघा साढे छः बिस्वा जमीन रुपये 400/- में दिनांक 17/06/19745 को सायलान को 20/- रु. के स्टाम्प पर लिखकर बेचान कर दी व कब्जा मौके पर सायलान को सौप दिया व बकाया भूमि वाद के प्रतिवादीगण संख्या तीन से नो चिमना के कायम मुकमान व पेमा पुत्र मूला ने खरीद कर ली, जो काबिज खातेदार काश्तकार है व मांगीलाल से खरीदसुदा जमीन 5 बीघा साढे छः बिस्वा का खेत नजरी नक्शे में दर्शाया प्राप्त करने के अधिकारी हैं व बेचान दिनांक 17/06/1974 जो बाढ के पानी से भीगने से अस्पष्ट है व इसके पूर्व की फोटो प्रति बतौर द्वितीय साक्ष्य के प्रार्थना पत्र पेश की जा रही हैं, जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। सायल संख्या एक बालाबक्ष का खसरा नम्बर 1304 रकबा 74 बीघा 16 बीस्वा किस्म बारानी प्रथम वाके आ0कालू चक नम्बर 2 की भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा व काश्त अधिकार नहीं होते हुये भी केवल जमाबंदी खतौनी में गलत इन्द्राज के आधार पर दिनांक 8.6.2007 को गैरसायलान संख्या 2 के नाम खसरा नम्बर 1305 की 32-02 बीघा भूमि के 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 1304/1 रकबा 42 बीघा 14 बिस्वा के 1/2 हिस्से का 150/427 वां हिस्सा अपना बताकर गैरसायलान संख्या को बेएवजाने रुपयें 220000/- में एक लिखित पंजीबद्ध बेचान दिनांक 08/06/2007 को तहरीर व तकमील करवाकर पंजीयन करवाया उक्त दिनांक 08/06/2007 को तस्दीक करवाकर उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण के यहा पंजीयन करवाया। लिखत पंजीबद्ध बेचान की प्रमाणित अधिकारी प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही हैं, जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें एवं दिनांक 8.6.2007 को खसरा नम्बर 1304 रकबा 74 बीघा 16 बीस्वा की भूमि में गैरसायलान संख्या एक का कोई हक हिस्सा व अधिकार व कब्जा व काश्त न तो था न ही हैं व इसलिये बेचान दिनांक 08/06/2007 सायलान व वाद के प्रतिवादी संख्या 3 से 9 के विरुद्ध अवैध व गैरकानूनी हैं व नल एण्ड वॉईड हैं। सायलान व प्रतिवादी संख्या 3 से 9 के हितों के विरुद्ध प्रभाव शून्य हैं, जिसे सायलान व प्रतिवादी संख्या 3 से 9 को विरुद्ध रदद व प्रभाव शून्य घोषित किया जावें। ऐसी घोषणा की डिकी बहक सायलान व वाद के प्रतिवादी संख्या 3 से 9 के हक में व गैरसायलान सं. 1 व 2 के विरुद्ध रदद घोषित फरमावें। ऐसी घोषणा का वाद खिलाफ गैरसायलान संख्या 1 व 2 के पेश किया हैं। सायलान खसरा नम्बर 1304 रकबा 74 बीघा 16 बिस्वा के गैरसायलान संख्या 1 बालाबक्ष के 1/4 हिस्से की 18 बीघा 14 बीस्वा भूमि व मांगीलाल पुत्र हीरालाल से खरीदशुदा 5 बीघा साढे छः बिस्वा दिनांक 17/06/1974 कुल रकबा 24 बीघा आधा बिस्वा के रेकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है व इस रुप से जमाबंदी खतौनी में अपना नाम बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज कराने के अधिकारी है। ऐसी घोषणा की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसलिये प्रार्थना पत्र घोषणा खिलाफ गैरसायलान के पेश किया हैं। सायलान इस प्रार्थना पत्र में उक्त वर्णित 24 बीघा आधा बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर नाम दर्ज करने के बाद सायलान व प्रतिवादी सं. 3 से 9 के रुप में मौके पर कब्जा व काश्त अनुसार व नजरी नक्शा में बताये स्थिति अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कराने के

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

अधिकारी है। इसलिये प्रार्थना पत्र तकास्मा का खिलाफ गैरसायलान के पेश किया हैं। गैरसायलान संख्या 1 व 2 प्रभावशाली व पुलिस व राजस्व अधिकारीयों व कर्मचारीयों से मिलकर अवैध व गैर कानूनी रुप में सायलान को उनके खातेदारो हक अधिकारो व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1304 रकबा 24 बीघा आधा बिस्वा से बेदखल करने पर आमादा हैं। व दिनांक 14/07/2007 को गैरसायलान संख्या 1 ने सायलान को एलानिया कहा कि मैने तुम्हारे खेत की रजिस्ट्री करवा दी हैं। व पुलिस द्वारा तुम्हारा कब्जा छीन लूंगा व बेदखल करने की एलानिया धमकी दी व यदि गैरसायलान संख्या 1 व 2 द्वारा ऐसा किया गया तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हैं व ऐसा होने पर सायलान गैरसायलान को ऐसा हरगिज नहीं करने देगें जिससे टन्टा फसाद होगा व विविध प्रकार के मुकदमें बाजी होगी। व सायलान को क्षति होगी, इसलिये सायलान गैरसायलान के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसलियें प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खिलाफ गैरसायलान संख्या एक व दो के पेश किया है। गैरसायलान का मौके पर कब्जा व काश्त व उनके पिता प्रपिता के समय से पिछले 52 सालों से लगातार कब्जा व काश्त के आधार पर व सायलान के शपथ पत्र व दस्तावेजात के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्टिया मामला सायलान के पक्ष में बखुबी प्रमाणित हैं व यदि गैरसायलान द्वारा सायलान को बेदखल कर दिया गया व दोराने वाद वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द कर दी गई व रहन, बेचान, बख्शीश व अन्य हस्तान्तरण एवं मौजूदा राजस्व रेकर्ड में रदो बदल कर दिया गया, तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हैं। इसलिये सुविधा का सन्तुलन भी बखूबी सायलान के पक्ष में साबित हैं।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-आ0कालू में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। गै0सा0 संख्या 1 बालाबक्ष फौत हो चुका हैं। कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु दिनांक 20/03/2013 से आज दिनांक तक समय दिया गया। बावजूद समय दिये जाने के कायम मुकाम की दरख्वास्त पेश नहीं करने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं। कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु दिनांक 20/03/2013 से आज दिनांक तक समय दिया गया। बावजूद समय दिये जाने के कायम मुकाम की दरख्वास्त पेश नहीं करने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 26/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-आ0कालू पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner